झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–1190 वर्ष 2017

रोशन कुमार साव .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य

2. रश्मि कुमारी साव .....उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री राकेश कुमार गुप्ता, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– श्री अतनु बनर्जी, जी0ए0

2 / 11.4.2017 याचिकाकर्ता के वकील को सुना गया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर वर्तमान रिट आवेदन में याचिकाकर्ता केवल यह निर्देश चाहता है कि संबंधित कुटुम्ब न्यायालय, गिरिडीह को निर्धारित समय के भीतर स्वत्व (वैवाहिक) वाद सं0 152 / 2015 का निपटारा करने का निर्देश दिया जाए। याचिकाकर्ता ने क्रूरता के आधार पर हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (i) के तहत एक आवेदन दायर किया है।

अभिलेखों के अवलोकन से पता चलता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या 125 / 2015 में पारित निर्देश के अनुसरण में याचिकाकर्ता द्वारा कुटुम्ब न्यायायलय, कोलकाता के विद्वान प्रधान न्यायाधीश के समक्ष संस्थित वैवाहिक

वाद संख्या 184/2014 को कुटुम्ब न्यायालय, गिरिडीह के विद्वान प्रधान न्यायाधीश को स्थानांतरित कर दिया गया था।

परिवार न्यायालय, गिरिडीह के प्रधान न्यायाधीश द्वारा 10 अप्रैल, 2017 को पत्र संख्या 103 के माध्यम से प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट जो अभिलेख के साथ रखा गया है, से यह भी प्रतीत होता है कि इस मुद्दे को 7 सितंबर, 2016 को सुलझा लिया गया है और याचिकाकर्ता की ओर से एक गवाह दीपक कुमार साव की भी 22 फरवरी, 2017 को परीक्षण की गई है। इसके अलावा, प्रतिद्वंदी पक्षों द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 और 26 के तहत दायर एक याचिका का निपटारा कर दिया गया। यह याचिकाकर्ता के साक्ष्य के लिए लंबित है।

स्वत्व (वैवाहिक) वाद संख्या 152/2015 की कार्यवाहियों की उपरोक्त पृष्ठभूमि पर विचार करने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान परिवार न्यायालय, गिरिडीह मामले की कार्यवाही में तत्परता से कदम उठा रहा है। यह मामला स्वयं याचिकाकर्ता द्वारा साक्ष्य पेश किए जाने के चरण में है और उससे उचित तत्परता के साथ पेश करने की अपेक्षा की जाती है जिससे उसके तरफ से किसी भी देरी से बच सके। यह मुकदमा वर्ष 2015 का है। तथापि, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के उपबंधों के अनुसार विद्वान न्यायालय पुराने मामलों को भी सम्यक प्राथमिकता देते हुए वाद का शीघ्र विनिश्चय करेगा।

तदनुसार, रिट याचिका का निपटान उपरोक्त टिप्पणियों के साथ किया जाता है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)